

:: आदेश ::

श्री विकास चौधरी, व्याख्याता सिविल इन्जी० तथा श्री राहुल सिंह, व्याख्याता सिविल इन्जी० आपको छात्रावास अधिकारी/प्रभारी नियुक्त किया था। आपको यह निर्देश दिये गये थे कि आप संस्था में रहकर छात्रावास का कार्य देखेंगे। परन्तु आपको मकान किराया मिलता रहा है। अतः मकान किराया भत्ते की वसूली निम्नवत की जा रही है।

1. आदेश सं०: 259/स्थापना दिनांक: 19-07-2017 के द्वारा माह अगस्त, 2017 से माह जनवरी, 2018 तक माह म: ₹0-1260X6=7560.00 श्री विकास चौधरी।
2. आदेश पृ०सं०: 759/स्थापना/2017-18 दिनांक: 29-01-2018 के द्वारा माह फरवरी, 2018 से माह मई, 2018 तक माह चार ₹0-1260X4=5040.00 श्री राहुल सिंह।

उपरोक्तानुसार वसूली तत्काल जमा कराना सुनिश्चित करें।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटेक्निक वांगीपुर
नुरपुर, बिजनौर

कार्यालय, प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक वांगीपुर, नुरपुर, बिजनौर।

पृ०सं०: **272-74** स्थापना/लेखा/2018-19

दिनांक: **07-08-2018**

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्री विकास चौधरी, व्याख्याता सिविल इन्जी०।
2. श्री राहुल सिंह, व्याख्याता सिविल इन्जी०।
3. स्थापना/लेखा लिपिक।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटेक्निक वांगीपुर
नुरपुर, बिजनौर